

शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्रों में अभ्यासरत प्रशिक्षुओं के समायोजन का लैंगिक परिपेक्ष्य में तुलनात्मक अध्ययन

मनीषा सिंह
शोधार्थी, मेवाड़ यूनिवर्सिटी,
राजस्थान
ईमेल - singhmanishaa1@gmail.com

डॉ० नीतू चावला
विभागाध्यक्ष, आर०सी०सी०वी०,
गाजियाबाद

सारांश

शिक्षक का राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षक सभी शैक्षिक क्रिया कलाओं की आधारशिला होता है, समायोजन शिक्षक का एक ऐसा गुण है, जिनके द्वारा वह प्राणी भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में शिक्षक का परस्पर समन्वय या तालमेल स्थापित करता है। शिक्षा के क्षेत्र में सफल होने के समायोजन एक अनिवार्य गुण हैं। भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने समायोजन की दिशा में शोध अध्ययन किए हैं। उनमें से अधिकांश शोध अध्ययन समायोजन के घर, विद्यालय और व्यवसाय के क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं। जीवन के हर पहलू में, जन्म से मृत्यु तक, प्रत्येक स्थान पर समायोजन अनिवार्य है। प्रस्तुत शोध संस्थान का उद्देश्य गाजियाबाद नगर के बी० एड० प्रशिक्षण केन्द्रों में अध्ययनरत प्रशिक्षुओं के समायोजन का उनके लैंगिक परिपेक्ष्य में तुलनात्मक अध्ययन करना था। शोधार्थी ने शोध कार्य हेतु कुल 100 प्रशिक्षुओं का चयन किया, जिसमें 50 प्रशिक्षु छात्र व 50 प्रशिक्षु छात्राएं थी। माननकीकृत मापनी से एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। निष्कर्ष स्वरूप प्राप्त हुआ कि बी० एड० प्रशिक्षण केन्द्रों में अध्ययनरत प्रशिक्षु छात्र एवं छात्राओं के समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है अर्थात् दोनों का समायोजन सामान्य स्तर का है। बी० एड० महाविद्यालय में अध्ययनरत प्रशिक्षुओं के समायोजन में विशयवार सार्थक अन्तर है अर्थात् दोनों का समायोजन सामान्य स्तर का है। बी० एड० महाविद्यालय में अभ्यासरत ग्रामीण व शहरी प्रशिक्षुओं की शिक्षण अभिक्षमता में सार्थक अन्तर है।

मुख्य शब्द – शिक्षण अभिक्षमता, प्रशिक्षुओं, समायोजन, लैंगिक परिपेक्ष्य, तुलनात्मक अध्ययन

प्रस्तावना

प्राणियों में मनुष्य ईश्वर सर्वोत्तम रचना है, जिसमें सोचने तर्क करने व न्याय करने की क्षमता है। इन गुणों के आधार पर व्यक्ति किसी भी वातावरण में समायोजन कर सकता है। व्यक्ति के व्यवहार का सीधा सम्बन्ध समायोजन से है। एक व्यवहार कुशल व्यक्ति का समायोजन उच्च कोटि का होता है। व्यवहार को शिक्षा द्वारा ही परिवर्तित किया जा सकता है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप ही समायोजन क्षमता का विकास होता है। शिक्षा से मनुष्य को नई दिशा मिलती है, शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास सम्भव है।

अरस्तु के अनुसार:-

“शिक्षा मानवीय शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है जिससे मानव परम सत्य, शिवम् और सुन्दर का चिन्तन करने के योग्य बन सके।” समायोजन के द्वारा अपनी जरूरतों व समाज की मांगों के बीच संतुलन बनाए रखता है। समायोजन एक प्रकार का अनुकूलन है, जिसमें लोग किन्हीं भी परिस्थितियों में स्वयं को समायोजित करने में सक्षम होते हैं। भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने समायोजन की दिशा में शोध अध्ययन किए हैं। उनमें अधिकांश शोध अध्ययन समायोजन के घर, विद्यालय और व्यवसाय के क्षेत्रों से संबन्धित है। समायोजन प्रक्रिया में व्यक्ति तथा वातावरण दोनों प्रभावित होते हैं। समायोजन प्रक्रिया में व्यक्ति अपने बाह्य वातावरण के साथ अन्तःक्रिया करता है। इस प्रक्रिया से वह वातावरण को बदलने की क्रियाएँ करता रहता है। कभी कभी वह स्वयं तथा वातावरण दोनों को परिवर्तित करने की प्रक्रिया अपनाता है। समायोजन के अभाव में वह द्वन्द, तनाव व बेचैनी को अनुभव करता है। समायोजन प्रक्रिया के समय आवश्यकताओं तथा दबाव के बीच सामंजस्य स्थापित करना होता है। प्रशिक्षुओं की अवस्था किशोरावस्था होती है, इस अवस्था में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण केन्द्रों में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हीं में से एक समस्या समायोजन की भी है। इन समस्याओं का प्रभाव लैंगिक आधार पर भी देखने को मिलता है।

समायोजन का अर्थ एवं परिभाषाएँ

मानव जीवन परिवर्तनशील है; शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक मनुष्य के सम्मुख नई-नई समस्याएँ और नई-नई परिस्थितियाँ आती रहती हैं और वह अपनी बुद्धि तथा अन्य सामर्थ्यों से काम लेते हुए बराबर इन समस्याओं को सुलझाने और परिस्थितियों से निपटने की चेष्टा करता है। दूसरे शब्दों में इस सतत् प्रक्रिया का नाम ही जीवन है। यह समायोजन की प्रक्रिया है।

लॉरेंस एफ० शैफर के शब्दों में-

“समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीवित प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की तुष्टी को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में एक सन्तुलन बनाये रखता है।”

समायोजन के प्रकार

सामान्य समायोजन

जब किसी व्यक्ति और उसके पर्यावरण के बीच संबंध स्थापित मानदंडों के अनुसार होता है तो उस संबंध को सामान्य समायोजन माना जाता है। एक बच्चा जो अपने माता-पिता का पालन करता है, जो अनावश्यक जिद्दी नहीं है; जो नियमित रूप से पढ़ते हैं और साफ आदत को समायोजित माना जाता है।

असामान्य समायोजन

असामान्य समायोजन का मतलब समस्या व्यवहार या लोकप्रिय बोलने वाले Mal

Adjustment है। माल समायोजन तब होता है जब किसी व्यक्ति और उसके पर्यावरण के बीच संबंध स्थापित मानकों या मानदंडों के अनुसार नहीं होता है। एक अपराधी बच्चा अपने पर्यावरण के साथ समायोजित करता है लेकिन वह एक खराब बच्चा है क्योंकि वह कुछ नैतिक संहिता का उल्लंघन कर रहा है।

समायोजन हेतु उपाय

शिक्षकों के समायोजन हेतु निम्न उपाय अपनाये जाने चाहिए—

- 1. शिक्षकों की स्थिति में सुधार:—** इसके अन्तर्गत वेतन वृद्धि, कार्य करने की अच्छी परिस्थितियाँ, निष्पक्ष नियुक्ति प्रक्रिया, निश्चित नियमों के अनुसार प्रगति इत्यादि सम्मिलित हैं। इससे अध्यापक सन्तुष्ट रहेंगे और विद्यार्थियों के सम्मुख अच्छे आदर्श उपस्थित करने को प्रोत्साहित होंगे।
- 2. शिक्षक द्वारा अच्छे आदर्श प्रस्तुत करना:—** यह तो सर्वविदित है कि विद्यार्थी अपने शिक्षक का ही अनुसरण करते हैं, परन्तु यह भी सच है कि शिक्षण कार्य में संलग्न नये शिक्षक आगे चलकर अपने वरिष्ठ शिक्षकों का अनुकरण करते हैं। इस प्रकार व्यवहार के प्रत्येक पहलू में शिक्षकों को उनके सामने अच्छे उदाहरण उपस्थित करने चाहिये और इस प्रकार नेतृत्व करना चाहिए कि नये शिक्षक भी आदर्श प्रस्तुत करें तथा कार्य परिस्थितियों से समायोजन स्थापित कर सकें।
- 3. शिक्षा प्रणाली में सुधार:—** विभिन्न आयोगों और समितियों ने तथा नवीन शोधकर्ताओं ने जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में दोष दिखलाये हैं, वे अविलम्ब दूर किये जाने चाहिये।
- 4. परीक्षा प्रणाली में सुधार:—** शिक्षा, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है। परीक्षा प्रणाली में इसी सर्वांगीण विकास की परीक्षा होनी चाहिये न कि केवल रटने की शक्ति की, जैसी कि वह आज कल है।
- 5. विद्यालयों को राजनैतिक गुटबन्दी से अलग करना:—** किसी भी राजनैतिक दल को विद्यालय के जीवन में प्रवेश करने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिये तथा शिक्षक को अपने शैक्षणिक दायित्व की पूर्ति के पश्चात ही राजनैतिक क्रियाओं में भाग लेना चाहिये।
- 6. नैतिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार:—** नैतिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार के फलस्वरूप शिक्षकों को उपेक्षित मान सम्मान प्राप्त होता है तथा अनुशासन स्थापित करने में सहायता मिलती है। जिससे समायोजन की प्रक्रिया को बल मिलता है।
- 7. सरकार द्वारा अनुचित हस्तक्षेप न करना:—** प्रायः यह देखा जाता है कि शिक्षकों के चयन एवं विद्यालय शिक्षण हेतु चलाई गई योजनाओं में सरकार द्वारा अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप किया जाता है, जिसके कारण शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। अतः सरकार द्वारा आवश्यक एवं न्यूनतम हस्तक्षेप किया जाय, जिससे शिक्षण की प्रक्रिया में सजीवता बनी रहे और शिक्षक अधिकतम समायोजित रह सकें।
- 8. शिक्षक अभिभावक सम्पर्क:—** शिक्षक और अभिभावकों को परस्पर मिलने के अवसर दिये जाने से छात्रों से सम्बन्धित समस्याओं का विचार विभिन्न होने के कारण दोनों पक्ष शिक्षण में

सुधार व गुणवत्ता हेतु प्रयास करते हैं तथा शिक्षक की उचित आदर व आत्मसम्मान प्राप्त होता है। जिससे वह मानसिक रूप से अपने को समायोजित करने का प्रयास करता है।

9. शिक्षा संस्थाओं की स्वतन्त्रता का संरक्षण:— वर्तमान प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित कार्यों में ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव की भूमिका निश्चित की गई है, जिसके कारण प्रधान, सचिव इत्यादि विद्यालय की गतिविधियों में अनावश्यक हस्तक्षेप कर शिक्षण कार्य में बाधा पहुँचाते हैं अतः शिक्षण संस्थाओं की स्वतन्त्रता बनाये रखी जाये।

10. विद्यालय में स्वस्थ वातावरण का निर्माण:— विद्यालयों में स्वस्थ वातावरण के निर्माण से समायोजन स्थापित करने में सहायता मिलती है, कि विद्यालय में एक बड़े परिवार का वातावरण होना चाहिये, जिसमें लड़के-लड़कियों, विद्यार्थियों और शिक्षकों के परस्पर सम्बन्ध नैतिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से स्वस्थ हो। ऐसे वातावरण में समायोजन की प्रक्रिया स्वतः ही पूर्ण हो जाती है।

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन

राव डी.वी. शेखर, डी.आर. तथा लक्ष्मी डी.वी. (2003) ने भावी शिक्षकों के समायोजन का अध्ययन किया। इस अध्ययन में पाया गया कि सभी शिक्षकों का समायोजन स्तर औसत है। शिक्षकों के लिंग, विषय, योग्यता का उनके समायोजन स्तर पर कोई प्रभाव नहीं है। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के पुरुष एवं महिला अध्यापकों की कार्य संतुष्टि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

गौतम रेनु (2006), लघु शोधप्रबन्ध, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ने 'माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन' किया। इस अध्ययन में पाया गया कि माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत विवाहित व अविवाहित शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के समायोजन में कोई अन्तर नहीं था। माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कला व विज्ञान वर्ग के शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के समायोजन में कोई अन्तर नहीं था।

अवस्थी शालू (2006), पी-एच.डी. उपाधि हेतु एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली ने 'बी.टी.सी. शिक्षकों की शिक्षण विधि, पेशे के प्रति सन्तुष्टि तथा समायोजन का समालोचनात्मक अध्ययन' किया इस अध्ययन में पाया गया कि पुरुष तथा महिला बी.टी.सी. शिक्षकों का विद्यालय के शैक्षिक एवं सामान्य वातावरण से उच्च स्तरीय समायोजन है। महिला तथा पुरुष शिक्षकों की भौतिक व सामान्य वातावरण से समायोजन क्षमता में महत्वपूर्ण अन्तर नहीं है। पुरुष तथा महिला शिक्षकों की समायोजन क्षमता में अन्तर है। पुरुष शिक्षकों की सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक समायोजन क्षमता महिला शिक्षकों की अपेक्षा अधिक है। महिला व पुरुष शिक्षकों में सहकर्मियों से समायोजन क्षमता में महत्वपूर्ण अन्तर नहीं है।

मोहम्मद और रिनु (2012), वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के विज्ञान शिक्षकों के शिक्षण योग्यता का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि सरकारी और निजी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विज्ञान शिक्षकों की योग्यता को पढ़ाने के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। इसमें कहा गया है कि सभी सरकारी और निजी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विज्ञान शिक्षकों में योग्यता सिखाने

की समान क्षमता थी।

रमेश (2015), माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के शिक्षण योग्यता और समायोजन का आयोजन किया। यह अध्ययन माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की शिक्षण योग्यता और समायोजन की जांच करने का प्रयास करता है। अन्वेषक ने इस अध्ययन के लिए 150 नमूने लिए थे। शोधकर्ता द्वारा शोध प्रबंध पद्धति का उपयोग किया गया था। मुख्य निष्कर्ष यह है कि निजी और सरकारी माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के शिक्षण योग्यता पर महत्वपूर्ण अंतर है। निजी और सरकारी के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, लेकिन माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की योग्यता और समायोजन के शिक्षण पर लिंग के प्रकार के बीच संबंध है।

लक्ष्मी सिंह और डॉ विजय शुक्ला (2018), शासकीय एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन के न्यादर्श के लिए भोपाल जिले के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 9 वीं एवं 10 वीं के विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। जिसमें 150 छात्र एवं 150 छात्राएं सम्मिलित है। वर्तमान समय में जिन किशोरों को पारिवारिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनका समायोजन विद्यालय, प्राचार्य, शिक्षकों एवं अपनी मित्र मंडली एवं अपने आस-पास के वातावरण से उनमें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक संघर्ष के कारण उनमें निराशा, अवसाद सामाजिक अलगाव, विद्यालयों में लगातार असफलता असहयोग सहानुभूतिपूर्वक वातावरण न मिलना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिसके कारण उनमें कुसमायोजन की स्थिति पैदा हो जाती है। जिससे वे हर क्षेत्र में जैसे शैक्षिक, सामाजिक, संवेगात्मक रूप में पिछड़ने लगते हैं इन विषम परिस्थितियों में समायोजन ही एक मात्र सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है।

अध्ययन की आवश्यकता

माननीय संभावनाओं के विकास में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बदलते समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रत्येक देश अपनी शिक्षा व्यवस्था विकसित करता है, ताकि विकासोन्मुख शिक्षा व्यवस्था हमारे अतीत के अनुभवों व वर्तमान की आवश्यकताओं पर आधारित होकर हमारी भावी पीढ़ी के लिए एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सके। कोठारी कमीशन ने कहा है कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि शिक्षा स्तर व राष्ट्रीय विकास में शिक्षा के योगदान को जितनी भी बातें प्रभावित करती है, उनमें अध्यापकों के गुण ज्ञान चरित्र, शिक्षण अभिवृत्ति, शिक्षण अभिक्षमता, समायोजन, रुचि आदि सबसे महत्वपूर्ण है। माध्यमिक विद्यालयों में अभ्यासरत अध्यापकों का अपने समाज, परिवार, पड़ोस, विद्यालय में समायोजन कैसा है। उसका छात्रों और अपने साथियों, अधिकारियों के साथ कैसा समायोजन है, अपने आस-पास के वातावरण के साथ समायोजन का प्रभाव उसके शिक्षण कार्य पर पड़ता है। वर्तमान अध्यापकों की शिक्षा व्यवस्था के प्रति अभिक्षमता समायोजन परिवर्तित हो रहा है। अधिकांश विद्यालयों में अध्यापक अध्यापन पर कम समय देते हैं। कुछ स्थानों पर तो अध्यापन का स्तर बहुत ही गिरा हुआ है। जिसका सीधा प्रभाव छात्रों पर पड़ता है। प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी

भी पर्याप्त मात्रा में है तथा किसी-किसी स्कूल में एक अध्यापक या दो अध्यापक ही अध्यापन कार्य कर रहे हैं।

समस्या कथन –

किसी भी शोध-पत्र के लिये समस्या कथन का विशेष स्थान है, अतः षोधर्थिनी ने समस्या का चयन इस प्रकार किया है—

शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्रों में अभ्यासरत प्रशिक्षुओं के समायोजन का लैंगिक परिपेक्ष्य, विषयवार और क्षेत्रीय आधार पर तुलनात्मक अध्ययन ।

अध्ययन का उद्देश्य

1.बी० एड० महाविद्यालयों में अभ्यासरत प्रशिक्षुओं की समायोजन का लैंगिक परिपेक्ष्य में अध्ययन करना ।

परिकल्पना –1


बी० एड० महाविद्यालयों में अभ्यासरत प्रशिक्षुओं के समायोजन में लैंगिक दृष्टि से कोई सार्थक अन्तर नहीं है ।

अध्ययन क्षेत्र –

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु शोधार्थी ने गाजियाबाद नगर क्षेत्र के बीव एडव महाविद्यालयों को ही चुना है।

प्रतिदर्श –

प्रतिदर्श जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि विस्तृत समूह का छोटा प्रतिनिधि है—
न्यूनतम वा सख्त



प्रस्तुत शोध में शोधार्थी ने साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि का प्रयोग किया गया। जिसके अन्तर्गत में गाजियाबाद नगर क्षेत्र के बी० एड० प्रशिक्षण केन्द्रों में अध्ययनरत 100

अध्ययन में उपयुक्त उपकरण

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु शोधार्थी द्वारा डॉ० एस० के० मंगल द्वारा निर्मित अध्यापक समायोजन मापनी (लघु रूप) का प्रयोग किया गया। आंकड़ों के संकलन हेतु शोधार्थी ने बी० एड० प्रशिक्षण केन्द्रों में स्वयं जाकर प्रश्नावली के निर्देशों से अवगत कराया तथा प्रशिक्षुओं से प्रश्नावली को पूर्ण कराया।

अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकीय प्रविधियाँ

सांख्यिकीय की आवश्यकता आंकड़ों के संकलन में भी होती है तथा अनुसंधान कार्य में प्राप्त आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण व मानों की गणना में भी पड़ती है।

प्रस्तुत शोध कार्य में प्रयुक्त सांख्यिकीय निम्न प्रकार है—

1. मध्यमान
2. प्रमाणिक विचलन
3. टी-परीक्षण

एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण—

1. बी० एड० महाविद्यालयों में अभ्यासरत प्रशिक्षुओं के समायोजन का लैंगिक परिपेक्ष्य में जनसांख्यिकी चरों के आधार पर परस्पर सम्बन्धों की तुलना ।

परिकल्पना —

1. बी०एड०महाविद्यालयों में अभ्यासरत प्रशिक्षुओं के समायोजन का लैंगिक परिपेक्ष्य में कोई सार्थक अन्तर नहीं है । उद्देश्य बी० एड० महाविद्यालयों में अभ्यासरत प्रशिक्षुओं के समायोजन का लैंगिक परिपेक्ष्य में अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया गया था । 50 प्रशिक्षु छात्र और 50 प्रशिक्षु छात्राएँ के शिक्षण क्षमताओं के अंक तालिका- 1 में प्रस्तुत किए गए हैं ।

तालिका न०-1


बी० एड० महाविद्यालयों में अभ्यासरत प्रशिक्षुओं के समायोजन का लैंगिक परिपेक्ष्य में जनसांख्यिकी चरों के आधार पर परस्पर सम्बन्धों की तुलना

समायोजन	लैंगिक	समूह (N)	मध्यमान (μ)	प्रमाणिक विचलन (σ)	क्रांतिक अनुपात (t)	सार्थकता (0.05 पर t = 1.96) (0.01 पर t = 2.53)
	1	2	3	4	5	6
प्रशिक्षु छात्र		50	56.52	7.924	0.568	स्वीकृत
प्रशिक्षु छात्राएँ		50	57.42	7.931		

विश्लेषण

तालिका न० 1 से स्पष्ट है कि प्रशिक्षु छात्रों का प्रमाणिक विचलन 7.924 और मध्यमान 56.52 है, जबकि प्रशिक्षु छात्राओं का प्रमाणिक विचलन 7.931 और मध्यमान 57.42 है । गणना द्वारा प्राप्त t का मान 0.568 है, और df का मान 98 है इस मान को t तालिका पर देखने पर पता चलता है कि 0.05 विश्वास के स्तर पर सार्थकता के लिए t का मान 1.96 तथा 0.01 विश्वास स्तर पर सार्थकता के लिए t का मान 2.53 होना चाहिए यहाँ गणना से प्राप्त t का मान t तालिका में दिए गये दोनों स्तरों पर सार्थकता के आवश्यक मानों से कम है अतः शुन्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है ।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि, बी० एड० महाविद्यालयों में अभ्यासरत प्रशिक्षुओं के समायोजन का लैंगिक परिपेक्ष्य में कोई सार्थक अन्तर नहीं है ।



आरेख संख्या-1

बी0 एड0 महाविद्यालयों में अभ्यासरत प्रशिक्षुओं के समायोजन का लैंगिक परिपेक्ष्य में मध्यमान और प्रमाणिक विचलन आरेख द्वारा प्रदर्शित

सुझाव

प्रत्येक सामाजिक सर्वेक्षण अथवा शोध का आधार वैज्ञानिक पद्धति व प्रविधियों द्वारा संकलित तथ्य है। परन्तु तथ्यों का संकलन स्वयं कुछ नहीं कह सकता जब तक कि उनका वर्गीकरण व सारणीयन न किया जाये एवं उनके आधार पर तथ्यों का विप्लेशन व व्याख्या करके कुछ वैज्ञानिक निष्कर्षों को न निकाला जाये।

इसके लिए आवश्यक है कि सम्पूर्ण सर्वेक्षण व शोध कार्य के निष्कर्षों तथा सुझावों को एक लिखित रूप दिया जाये जिससे कि वह विज्ञान की धरोहर बन सके। दूसरे वैज्ञानिक उसी विषय के सम्बन्ध में फिर से अनुसंधान कर उसके निष्कर्षों व सुझावों के आधार पर भावी योजनाओं की रूप रेखा तैयार कर सके। इन सब उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शोधकर्ता ने अध्ययन सम्बन्धी निष्कर्षों की क्रमबद्ध तरीके से अंग्राकित बिन्दुओं में प्रस्तुत किया है।

1. प्रस्तुत समस्या को और अलग-अलग क्षेत्र में विभक्त जैसे-पुरुष महिला शिक्षक तथा बालक-बालिकाओं में प्रस्तुत समस्या पर तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
2. उच्च शिक्षा स्तर पर प्रस्तुत समस्या को रखकर विस्तृत रूप से शोध-कार्य किया जा सकता है।
3. प्रस्तुत शोध अध्ययन में माध्यमिक स्तर के बी0एड0 प्रशिक्षुओं को सम्मिलित किया गया है। भविष्य में उच्च शैक्षिक स्तर में एम0 एड0 प्रशिक्षुओं पर शोध-कार्य किया जा सकता है।
4. मिशनरी विद्यालय एवं मदरसा के अध्यापकों का भी लैंगिक परिपेक्ष्य में तुलनात्मक अध्ययन शीर्ष के पर शोध किया जा सकता है।
5. उच्च एवं निम्न वर्ग में अध्यापक के लैंगिक परिपेक्ष्य में समायोजन में तुलनात्मक अध्ययन का शोध का विषय बनाया जा सकता है।

6. इस शोध में लैंगिक परिपेक्ष्य के आधार पर समायोजन को ही अध्ययन हेतु चुना है, इसके अलावा मूल्यों, आर्थिक व शैक्षिक आधार पर भी समायोजन पर शोध कार्य किया जा सकता है

सन्दर्भ ग्रंथ

1. सरीन एण्ड सरीन (2006), *शैक्षिक अनुसंधान की विधिया* वेदांत पब्लिकेशन
2. पाठक, पी. डी. (2009) *शिक्षा मनोविज्ञान*, विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा
3. मंगल एस. के. (2010) *शिक्षा मनोविज्ञान* पी. एच. आई. लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
4. शर्मा आर. ए. (2012) *शिक्षा अनुसंधान के मूल तत्व एवं शोध प्रक्रिया*, आर लाल बुक डिपो, मेरठ
5. कौल, लोकेश (2013) *शैक्षिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली*, विकास पब्लिशिंग हाऊस प्रा0 लि0 नोएडा (यू0 पी0)
6. राव डी. बी., शेखर डी.आर. लक्ष्मी जी.बी. (2003), *एडजस्टमेंट ऑफ़ एक्सप्रेसन ऑफ़ बी.टी.सी. एण्ड स्पेशल बी.टी.सी. प्राइमरी स्कूल टीचर्स ए कॉम्प्रेटिव स्टडी*, पी-एच.डी. ऐजूकेशन, चौ0 चरन सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
7. अवस्थी कालू (2006) *बी.टी.सी. शिक्षकों की शिक्षण विधि*, पेशे के प्रति संतुष्टि तथा समायोजन का समालोचनात्मक अध्ययन' पी-एच.डी. एम.जे.पी. रूहेलखण्ड वि.वि. बरेली।
8. गौतम रेनु (2006), *माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन* लघु शोध प्रबन्ध छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
9. मोहम्मद, आर और रितु (2012), *वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के विज्ञान शिक्षकों के शिक्षण योग्यता का अध्ययन*। एमएए ओमवती जर्नल ऑफ़ एडिटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 3 (1), 25-27।
10. रमेश (2015), *टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एडजस्टमेंट ऑफ़ सेकंडरी स्कूल टीचर्स*। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ साइंस एंड रिसर्च (IJSR) ISSN (ऑनलाइन): 2319-7064 इंडेक्स कॉपरनिकस वैल्यू (2015)रू 78.96 द्य प्रभाव कारक (2015)रू 6.391।
11. लक्ष्मी सिंह और डॉ विजय शुक्ला (2018), *शासकीय एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन* Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education Vol- XIV] Issue No- 2] January&2018] ISSN 2230&7540.